# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 160 / 2024

सुरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन बारेका हाल सरामसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

| | | |
|---|---|---|
| 1. निरजंन सिंह | पिसरान भूरा सिंह | जाति जटसिख |
| 2. प्रकाश सिंह | | साकिन सरामसर तहसील पीलीबंगा |
| 3. भीम सिंह | | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

| | |
|---|---|
| 1. श्री जगराज सिंह भारी | प्रार्थी |
| 2. श्री औम प्रकाश अरोड़ा | अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 4 |

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक :–** 30.06.25

-----

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 35 / 21 के प.नं. 14 / 350 (1) किला नं. 2, 3, 7 ता 9, 12, 13, 14 / 1 की कुल 1.897 हैक. नहरी अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20 / 14 के प.नं. 14 / 350 (1) किला नं. 4, 5, 6, 15, 16 की 1.265 हैक. नहरी खातेदारी ब. हि. ब. दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के पास आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. [illegible]4 के प.नं. 14 / 350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.0[illegible] 0.019 हैक. रास्ता बजानिब उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता से होता हुआ अपनी कृषि भूमि के प.नं. 14 / 350 (1) किला नं. 3 में प्रवेश करता है।

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/114 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.019 – 0.019 हैक. रास्ता बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि अपने नाम दर्ज कृषि भूमि प.नं. 14/350 (1) किला नं. 3 में देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम वर्णित कृषि भूमि के किला नं. 5, 6, 15, 16 के चिपते ही प.नं. 15/350 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में पक्की सड़क बनी हुई है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी खाता सं. 1 सलग्न प्रार्थना पत्र है द्य

यह कि अप्रार्थी सं. 4 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/ 14 के प. नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.019 – 0.019 हैक. रास्ता बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री ओ.पी. अरोड़ा अधिवक्ता हाजिर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से स्वयम् हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार से है –

यह कि पक्षकारान के मध्य आज रोज पंचायत के मौतविरान व्यक्तियों ने आपस में राजीनामा करवा दिया है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 35/21 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 2, 3, 7 ता 9, 12, 13, 14/1 की कुल 1.897 हैक. नहरी अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/114 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5, 6, 15, 16 की 1. 265 हैक. नहरी खातेदारी ब. हि. ब. दर्ज रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के पास आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/114 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.030 – 0.030 हैक. रास्ता बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता से होकर हुआ अपनी कृषि भूमि के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 3 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/114 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.030 – 0.030 हैक. रास्ता बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि अपने नाम दर्ज कृषि भूमि प.नं. 14/350 (1) किला नं. 7 में 0.060 हैक. कृषि भूमि देने के लिये तैयार व तत्पर है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के नाम वर्णित कृ

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

षि भूमि के किला नं. 5, 6, 15, 16 के चिपते ही प.नं. 15/350 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में पक्की सड़क बनी हुई है। यह कि मुताबिक राजीनामा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/114 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.030 – 0.030 हैक. रास्ता बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपति व एतराज नही होगा व प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि में से प.नं. 14/350 (1) किला नं. 7 में 0.060 हैक. कृषि भूमि मिन अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे जिसमें प्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही होगा। अतः राजीनाम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली भूमि से संबन्धित खाते के समस्त काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते के अलावा उस भूमि में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य काम दूरी नही लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र 251–क आरटीए लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि चक 2 बीआरपी (आईजीएनपी) के खाता सं. 20/114 के प.नं. 14/350 (1) किला नं. 4, 5 प्रत्येक किला में 0.030 – 0.030 हैक. रास्ता बजानिब उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि में से प.नं. 14/350 (1) किला नं. 7 में 0.060 हैक. कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

रास्ता राजस्व रिकार्ड में जांच कर किसी न्यायालय का स्थगना ओदश न होने की स्थिति में अमलदारामद करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30.06.25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:00:38 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़